न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2015 विविध प्रार्थना पत्र

1. श्री पृथ्वीराज पुत्र जीवण गुर्जर निवासी भीलवाडा 2. श्री राजु पुत्र लालाराम गुर्जर निवासी भीलवाडा 3. श्री नारायण लाल पुत्र लालाराम गुर्जर निवासी भीलवाडा 4. मंजु पुत्री लालाराम गुर्जर निवासी भीलवाडा –प्रार्थीगण	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा – विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी बाबत् राजस्व मण्डल के प्रकरण सं. 4975/05 अजमेर निर्णय दिनांक 26.11.2010 की अनुपालना में राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति की प्रत्यास्थापना करवाये जाने बाबत्

उपस्थित –
1. श्री नवरतनमल जोशी अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.2.2018

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण सं. 4975/05 निर्णय दिनांक 26.11.2010 की अनुपालना में राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति की प्रत्यास्थापना करवाये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पांसल की साबिक आराजी नं. 1669 रकबा 02.10 बीघा भूमि स्थित हैं। जिसके हाल आराजी नम्बर 4564/3135 हैं जो प्रार्थी सं. 01 के पिता व प्रार्थी सं. 02 से लगायत 04 के दादा ने तत्कालीन खातेदार विक्रमादित्य पुत्र मनमथसिंह राजपूत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 17.07.1972 को क्रय कर अपने अधिकार आधिपत्य में लिया तब से उक्त आराजियात प्रार्थी सं. 01 के पिता व प्रार्थी सं. 02 से लगायत 04 के दादाजी के नाम पर चली आ रही हैं जिसका अमल दरामद भी हो चुका हैं । प्रार्थी सं. 01 के पिता का देहान्त हो जाने से उक्त आराजियात प्रार्थी सं. 01 व प्रार्थी सं. 02 से लगायत 04 के पिता लालाराम एवं माता

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

मंगनी बाई के नाम पर विरासत से नामान्तरण खोला गया तब से उक्त आराजियात प्रार्थीगण के नाम पर मालिकाना हक से चली आ रही हैं। श्रीमती मंगनी बाई का दिनांक 01.10.2011 को निधन हो गया । जिसके कारण उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण का 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित हो गया हैं। विक्रमादित्य पिता मनमत सिंह के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही चली जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के यह प्रकरण सं. 134/81 निर्णय दिनांक 30.12.1983 को निर्णय हुआ । जिसमें इस भूमि को भी सरप्लस भूमि मानते हुए उक्त निर्णय दिनांक 30.12.1983 की पालना में नामान्तरकरण सं. 1129 के जरिये उक्त भूमि को बिलानाम अंकित कर दिया । बिलानाम से उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर दी गयी । उक्त निर्णय दिनांक 30.12.1983 के विरूद्व राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत हुई । जिसके प्रकरण सं. 11/84 निर्णय दिनांक 11.06.1987 को हुआ जिसमें 30.12.1983 के निर्णय को यथावत रखा । उक्त निर्णय के विरूद्व राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटिसियन पेश हुयी, जिसके प्रकरण सं. 40/88 निर्णय दिनांक 23.05.2005 से राजस्व मण्डल के निर्णय 11.06.1987 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया गया जिससे राजस्व मण्डल में प्रकरण पुनः दर्ज हुआ। जिसके प्रकरण सं. 4975/05 जिसका निर्णय 26.11. 2010 को किया गया। जिसमें प्रार्थीगणों के विक्रय पत्रों को मान्यता प्रदान की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय को निरस्त कर दिया व विक्रमादित्य पिता मनमत सिंह के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही को समाप्त कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई अपील या कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं हैं। चूंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा का निर्णय निरस्त हो चुका हैं। उसकी पालना में पूर्व में जो नामान्तरकरण सं. 1129 निर्णित किया गया, जिससे भूमि बिलानाम हुई । इसलिये उक्त भूमि में प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति कायम करवा उक्त भूमि को प्रार्थीगण खातेदार अधिकार के रूप में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पांसल की साबिक आराजी नं. 1669 रकबा 02.10 बीघा भूमि जिसके हाल आराजी नम्बर 4564/3135 भूमि को नगर विकास न्यास से हटाया जाकर प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान करवावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.01.2015 को पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं संबंधित वांछित रिकार्ड तलब किया गया ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पांसल की साबिक आराजी नं. 1669 रकबा 02.10 बीघा भूमि स्थित हैं। जिसके हाल आराजी नम्बर 4564/3135 हैं जो प्रार्थी सं. 01 के पिता व प्रार्थी सं. 02 से लगायत 04 के दादा ने तत्कालीन खातेदार विक्रमादित्य पुत्र मनमथसिंह राजपूत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 17.07.1972 को कय कर अपने अधिकार आधिपत्य में लिया तब से उक्त आराजियात प्रार्थी सं. 01 के पिता व

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

प्रार्थी सं. 02 से लगायत 04 के दादाजी के नाम पर चली आ रही हैं जिसका अमल दरामद भी हो चुका हैं । प्रार्थी सं. 01 के पिता का देहान्त हो जाने से उक्त आराजियात प्रार्थी सं. 01 व प्रार्थी सं. 02 से लगायत 04 के पिता लालाराम एवं माता मंगनी बाई के नाम पर विरासत से नामान्तरण खोला गया तब से उक्त आराजियात प्रार्थीगण के नाम पर मालिकाना हक से चली आ रही हैं। श्रीमती मंगनी बाई का दिनांक 01.10.2011 को निधन हो गया । जिसके कारण उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण का 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित हो गया हैं। विक्रमादित्य पिता मनमत सिंह के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही चली जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के यह प्रकरण सं. 134/81 निर्णय दिनांक 30.12.1983 को निर्णय हुआ । जिसमें इस भूमि को भी सरप्लस भूमि मानते हुए उक्त निर्णय दिनांक 30.12.1983 की पालना में नामान्तरकरण सं. 1129 के जरिये उक्त भूमि को बिलानाम अंकित कर दिया । बिलानाम से उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर दी गयी । उक्त निर्णय दिनांक 30.12.1983 के विरूद्व राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत हुई । जिसके प्रकरण सं. 11/84 निर्णय दिनांक 11.06.1987 को हुआ जिसमें 30.12.1983 के निर्णय को यथावत रखा । उक्त निर्णय के विरूद्व राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटिसियन पेश हुयी, जिसके प्रकरण सं. 40/88 निर्णय दिनांक 23.05.2005 से राजस्व मण्डल के निर्णय 11.06.1987 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया गया जिससे राजस्व मण्डल में प्रकरण पुनः दर्ज हुआ। जिसके प्रकरण सं. 4975/05 जिसका निर्णय 26.11.2010 को किया गया। जिसमें प्रार्थीगणों के विक्रय पत्रों को मान्यता प्रदान की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय को निरस्त कर दिया व विक्रमादित्य पिता मनमत सिंह के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही को समाप्त कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई अपील या कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं हैं। चूंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा का निर्णय निरस्त हो चुका हैं। उसकी पालना में पूर्व में जो नामान्तरकरण सं. 1129 निर्णित किया गया, जिससे भूमि बिलानाम हुई । इसलिये उक्त भूमि में प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति कायम करवा उक्त भूमि को प्रार्थीगण खातेदार अधिकार के रूप में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पांसल की साबिक आराजी नं. 1669 रकबा 02.10 बीघा भूमि जिसके हाल आराजी नम्बर 4564/3135 भूमि को नगर विकास न्यास से हटाया जाकर प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान करवावें । प्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की ।

विपक्षी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश भीलवाडा के प्रकरण सं. 134/81 मु.रे. राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के अंतर्गत उनवान प्रकरण सरकार बनाम श्री विक्रमादित्य सिंह पुत्र श्री मनमत सिंह राजपूत निवासी पासंल तहसील भीलवाडा में निर्णय दिनांक 30.12.1983 में विपक्षी की 8.59 एकड़ भूमि को सरप्लस घोषित किया गया हैं । इस निर्णय की अपील विपक्षी विक्रमादित्य सिंह द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गयी , जिसके

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

प्रकरण सं. प्रार्थना पत्र/अपील/सीलिंग/4975/05 /भीलवाडा निर्णय दिनांक 26.11.2010 से अतिरिक्त कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनाक 30.12.1983 को निरस्त करते हुये अपीलार्थी के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही समाप्त किये जाने के आदेश न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित किये गये है। इस निर्णय की नजरसानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गयी । जिसके प्रकरण संख्या नजर/एलआर/9412/2012/भीलवाडा में निर्णय दिनांक 20.03.2014 से प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया हैं। न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश भीलवाडा के निर्णय दिनांक 30.12.1983 से श्री विक्रमादित्य सिंह राजपूत निवासी पांसल की 8.59 एकड सरप्लस घोषित भूमि के अंतर्गत तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रार्थी की आराजी नं. 4564/3135 भूमि को नामान्तरकरण सं. 1129 दिनांक 03.02.1992 से बिलानाम दर्ज कर दी गयी । इस सीलिंग की बिलानाम भूमि को जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक/एफ 12—1(12)आरए/04/दिनांक 27.09.2005 से आबादी विस्तार आदि के लिये नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम सेट अपार्ट की गयी हैं । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आराजी नम्बर 4564/3135 नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम पर दर्ज रिकार्ड हैं । न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के प्रकरण सं. 134/81 निर्णय दिनांक 30.12.1983, राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण सं. 11/84 निर्णय दिनांक 11.06.1987, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण सं. 40/88 निर्णय दिनांक 23.05.2005, राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण सं. 4975/2005 निर्णय दिनांक 26.11.2010, राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण नजरसानी 9412/2012 निर्णय दिनांक 20.03.2014 में प्रार्थीगण पक्षकार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी खारिज कराया जाये ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । जिसके उपरान्त यह पाया कि न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश भीलवाडा के प्रकरण सं. 134/81 मु.रे. राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के अंतर्गत उनवान प्रकरण सरकार बनाम श्री विक्रमादित्य सिंह पुत्र श्री मनमत सिंह राजपूत निवासी पासंल तहसील भीलवाडा में निर्णय दिनांक 30.12.1983 में विपक्षी की 8.59 एकड़ भूमि को सरप्लस घोषित किया गया हैं। इस निर्णय की अपील विपक्षी विक्रमादित्य सिंह द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गयी , जिसके प्रकरण सं. प्रार्थना पत्र/अपील/सीलिंग/4975/05 /भीलवाडा निर्णय दिनांक 26.11.2010 से अतिरिक्त कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनाक 30.12.1983 को निरस्त करते हुये अपीलार्थी के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही समाप्त किये जाने के आदेश न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित किये गये है। इस निर्णय की नजरसानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गयी। जिसके प्रकरण संख्या नजर/एलआर/9412/2012/भीलवाडा में निर्णय दिनांक 20.03.2014 से प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया हैं।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण सं. 4975/2005 के निर्णय दिनांक 26.11.2010 की अनुपालना में राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 जा.दी. प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अति. जिलाधीश भीलवाडा द्वारा प्रकरण सं. 134/81 के निर्णय दिनांक 13.12.1983 उक्त निर्णय की अपील सं. प्रा.पत्र/अपील/सीलिंग/4975/05/ भीलवाडा के निर्णय दिनांक 26.11.2010, रिव्यू प्रकरण सं. नजर/एलआर/9412/ 2012/भीलवाडा के निर्णय दिनांक 20.03.2014 की प्रतियां प्रस्तुत की गयी । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त निर्णय के विरूद्व अपील लम्बित होने या न होने के तथ्य अंकित नहीं करने के साथ यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उक्त निर्णय अंतिम हो गया हैं। प्राथीगण अपने प्रार्थना पत्र में उक्त निर्णयों की पालना कराये जाने हेतु स्वयं के सक्षम होने के बाबत् भी कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये हैं । प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत निर्णयों की प्रतियों का अवलोकन किया गया, उक्त निर्णयों में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं हैं। उक्त निर्णयों में प्रार्थीगण के पक्षकार नहीं होने से निर्णयों की पालना कराने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 जा.दी. में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्रार्थीगणों को प्राप्त नहीं है।

प्रकरण में निर्णय की अंतिमता को स्पष्ट करने हेतु विपक्षी तहसीलदार भीलवाडा को निर्देशित किये जाने के पश्चात् तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत पत्र के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2014 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील सं. 7075/2018 लम्बित हैं। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णयों को अंतिम निर्णय नही माना जा सकता हैं । उक्त आधार पर भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

वादग्रस्त ग्राम पांसल की साबिक आराजी नं. साबिक आराजी नं. 1669 रकबा 02.10 बीघा भूमि स्थित हैं। जिसके हाल आराजी नम्बर 4564/3135 कायम हुये उक्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2014 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील सं. 7075/2018 लम्बित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.02.18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)